



**ICAR-Indian Grassland and Fodder Research Institute**

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान

**Jhansi – 284 003 (U.P.)**

झाँसी – 284 003 (उ.प्र.)

**Phone No. 0510-2730908**

**GST No.09AAAI1830P5ZD**

**Fax No. 0510-2730833**


File No.: Estate/Tree Verfication & Auction/2025-26

**Dated: 26.05.2026**

**By-Speed-Post**

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भा0कृ0अन0प0-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी के प्रक्षेत्र कार्यालय के Dumping Point पर सागौन, शीशम, सूबबूल, पाखर एवं छोले का वृक्ष की सूखी लकड़ी की खुली नीलामी दिनांक 09.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे की जानी है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने के लिये न्यूनतम सुरक्षित राशि रू0 2,000/- (रूपये दौ हजार मात्र) नगद जमा करना होगा। सम्पूर्ण जानकारी संस्थान की वेबसाईट : <https://igfri.org.in> पर उपलब्ध है।

  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/  
कार्यालयाध्यक्ष




### लकड़ी की बिक्री हेतु खुली नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि संस्थान में सागौन, शीशम, सूबबूल, पाखर एवं छोले का वृक्ष की सूखी लकड़ी की बिक्री खुली नीलामी के माध्यम से दिनांक 09.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय के **Dumping Point पर होगी**। इच्छुक व्यक्ति/फर्म उक्त दिनांक पर लकड़ी खरीदने हेतु बोली में भाग ले सकते हैं।

#### खुली बोली की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. खुली बोली बोलने से पहले व्यक्ति/फर्म को सुरक्षित धनराशि के रूप में रूपया 2,000.00 (रूपया दो हजार मात्र) नकद जमा कराना होगा। सुरक्षित धनराशि जमाकिये बिना बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. इच्छुक व्यक्ति/फर्म /ठेकेदार लकड़ी क्रय करने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में साय. 3.00 बजे तक प्रक्षेत्र अनुभाग से सम्पर्क स्थापित कर लकड़ी का मौके का निरीक्षण कर सकते हैं।
3. सफल बोली बोलने वाले को बोली का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल संस्थान के खाते में/डी.डी. के माध्यम से जमा करनी होगी।
4. संस्थान द्वारा रखी गई निर्धारित धनराशि से सबसे अधिक जिस व्यक्ति /फर्म की बोली होगी उसको कार्यालय द्वारा आदेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। तथा 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण लकड़ी ले जानी होगी। लकड़ी न ले जाने की स्थिति में उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. नीलामी होने के उपरान्त लकड़ियों की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केता का होगा।
6. संस्थान के निदेशक महोदय को नीलामी से संबन्धित समस्त निर्णय लेने एवं किसी बोली का स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा।
7. सफल बोली बोलने वाले को लकड़ी ले जाने का गेट पास प्रक्षेत्र प्रबन्धक के द्वारा जारी किया जागा तदुपरान्त ही लकड़ी मुख्य द्वारा से ले जाने की अनुमति सुरक्षा द्वारा प्राप्त की जायेगी।
8. खुली नीलामी के समय सभी इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपने पूर्ण पते आधार कार्ड के साथ अपना मोबाईल नम्बर भी अंकित कराये।
9. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी के पत्रांक संख्या 1636/37-1 दिनांक 17.11.2025 के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया के पश्चात वृक्षों के पातन (कटान) से (यथा-संशोधित) एवं उ०प्र० शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-24/81-5-5020-7-93, दिनांक 07.01.2020 एवं उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-1978 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमनुसार शुल्क जमा कर प्रभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/  
कार्यालयाध्यक्ष